ISSN (Online) 2582-9327

IJARSCMT

International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology

Impact Factor: 5.731

Volume 1, Issue 1, April 2022

महिला सशक्तीकरण में स्व–सहायता समूह के प्रभाव का मूल्यांकन

Dr. T. P. Singh[1] and Puja Singh[2]

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, (समाजशास्त्र विभाग)[1] and (शोधार्थी)[2]

Government Sanjay Gandhi Smrati College, Sidhi, MP, India[1]

Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa, Madhya Pradesh, India[2]

सार: किसी भी शोध कार्य में ली गई शोध समस्या की वास्तविक स्थित के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी उस समस्या से संबंधित कुछ न्यादर्शों का चयन कर समस्या के स्थित के अवलोकन का प्रयास करें। शोधार्थी ने ''महिला सशक्तीकरण में स्व–सहायता समूह की भूमिका एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले रामपुर नैकिन विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)'' शोध कार्य किया है।

मुख्य–शब्द: स्व–सहायता समूह; महिला सशक्तीकरण

प्रस्तावना–

शोध का क्षेत्र ग्रामीण अंचल में होने के कारण शोधार्थी को वहॉ जाना तथा कोविड–19 के कारण स्व–सहायता समूह के सदस्य एवं संबंधित अधिकारियों से ना मिल पाने में साक्षातकर प्रश्नावली को भरवाने एवं एकत्रित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। शोधार्थी ने कुछ शोध उपकरणों की सहायता ली जिसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीय कर विश्लेषण तथा व्याख्या द्वारा वस्तु स्थित जानकारी प्राप्त की और सभी शोध उपकरणों से प्राप्त तथ्यों का सारणी विश्लेषण तथा व्याख्या कर स्थित स्पष्ट की गई। स्व–सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा समूह है, जिसके सदस्यों द्वारा स्वयं की निर्धनता उन्मूलन हेतु स्वेच्छा से स्वयं को संगठित किया गया है। यहॉ समान विचारधारा समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के समुदाय सदस्यों का समूह है। समान आवश्यकता एवं हितों के आधार समुदाय द्वारा स्वयं सदस्यों का चयन कर समुदाय द्वारा स्वयं सदस्यों को चयन कर समूह का गठन किया जाता है। समूह के सभी सदस्य अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिये संगठित होकर कार्य करते हैं। वे नियमित रूप से बचत करने पर सहमत होते हैं और उसे एक सामान्य निधि में परिवार्तित कर देते हैं, जिसे समूह निधि के रूप में जाना जाता है। समूह के सदस्य इस सामान्य निधि और ऐसी अन्य निधियों के इस्तेमाल पर सहमत होते हैं जिसे वे सामान्य प्रबंधन के जरिय समूह के रूप में प्राप्त करते हैं। स्व–सहायता समूह सामुदायिक रूप से संगठित ढांचे की नींव है। स्व–सहायता समूहों का गठन मुख्यतः दो आधार पर किया जायेगा।

महिला सशक्तीकरण विश्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार सरकारी योजनाओं द्वारा उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को निश्चत रूप से गति मिलेगी। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के

ISSN (Online) 2582-9327

IJARSCMT

International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology

Impact Factor: 5.731 Volume 1, Issue 1, April 2022

लिए घरेलू हिंसा निषेध विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तरों पर औरत को दुर्बल माना जाता रहा है। यह सोच महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में झलकता है। लेकिन यह भी सच है कि पुरुष और स्त्री के बीच लम्बे समय से बनी हुई खाई को पाटने के सार्थक प्रयास हुए हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। महिलाएँ जिन कार्य के लिए योग्य नहीं समझी जाती थी वही कार्य करके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। धरती से लेकर आकश तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हैं, जिसे महिलाएँ नहीं कर रहीं है तथा सरकार द्वारा देश भर में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को नई गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 में प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई जिससे देश में महिलाओं को उत्थान और समुचित विकास किया जाना सम्भव हो सका है।

महिला सशक्तीकरण से अभिप्राय जीवन के विविध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी से हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी विषयों में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन सम्भव हुये हैं। ये परिवर्तन महिलाओं के स्वयं के नियंत्रण, अपने परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों में साझेदारी तथा घर के अतिरिक्त अन्य निर्णयों में भूमिका निर्धारित करता है। महिला सशक्तीकरण को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार–वाणिज्य इत्यादि में प्रतिनिधित्व के रूप में भी आंका जाता है। इसके तहत महिला में सुरक्षा की भावना, मातृत्व दर, शिशु मृत्युदर में कभी इत्यादि के रूप में भी देखा जाता है। सशक्तीकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। महिलाओं को सशक्त करने में कुछ कारकों की अहम् भूमिका होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, आस्तियों पर स्वामित्व, कौशल, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी ज्ञान इत्यादि।

स्व सहायता समूहों की उपयोगिता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में सिद्ध हुई है। समूहों में महिलाओं की भागीदारी से परिवार के उत्थान में उनकी भूमिका बढ़ रही है, उनके श्रम व कौशल को मिली मान्यता से महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्म सम्मान का भाव सुदृढ़ हुआ है। उनका सम्मान बढ़ने से परिवार में लड़कियों के प्रति भेदभाव व उपेक्षा कम हुई है। समूहों की बदौलत ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक स्तर बढ़ा है। स्व सहायता समूहों से मिले छोटे ऋणों से महिलाओं को सूदखोर व्यवस्था से काफी हद तक छुटकारा पाने में मदद मिली है। स्व सहायता समूहों के जरिए बचत की आदत ने महिलाओं में नए तरह की आर्थिक जागरूकता पैदा कर दी है।[1]

1.2 महिला सशक्तिकरण व स्वयं सहायता समूह :

[1] सोतिया सुभाष (2010), ग्रामीण महिलाओं का गौरव स्वयं सहायता समूह कुरूक्षेत्र, पृष्ठ 20, 21

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

अवधारणा :–

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

महिलाओं की समाज के प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाज का पूर्ण विकास तभी सम्भव है, जब पुरुष और महिला दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के समन्वित, संगठित प्रयास हों क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

अर्थ एवं परिभाषा :–

डॉ. दिग्विजय सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

लीना मेंहदेले के अनुसार– सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं।''

डॉ. अरूण कुमार सिंह के अनुसार– महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किये गये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' नेहरु जी का मानना था कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी के अनुसार– ''हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।'' यू.एन.डी.पी. नारी सशक्तिकरण को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं देता

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

कि यह मानव अधिकार है बल्कि इसके माध्यम से हमारे सदियों से चले आ रहे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का और सतत् विकास के मार्ग में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को शामिल करना है। लैंगिक समानता, गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, संकट की रोकथाम, प्यावरण और सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।

सशक्तिकरण से अभिप्राय आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को व्यक्ति और समुदाय में बढ़ाने से है। इसके फलस्वरूप क्षमतावान, सशक्त, विकासशील और आत्मविश्वास से युक्त महिला समूह निर्मित हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए एक वैश्विक अभियान, संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा को दुनिया भर में महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया।

किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषों दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इस माड्यूल में महिला सशक्तिकरण के पीछे पुरुष की श्रेष्ठा साबित करना लक्ष्य नहीं है। अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है। जिससे मानकों की प्राप्ति में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम हैं जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यकता है। इस धारणा के मूल में महिला और पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है।

शैक्षिक सशक्तिकरण :–

एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरु अर्थात् उसकी माता यदि सुशिक्षित हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है, इसके इस्तेमाल से स्त्रियॉ परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कर सकती हैं।

स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण :–

स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कई बार जीरो फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है। जिसके कारण शरीर कमजोर तथा रोगी हो जाता है। शरीर से कमजोर महिलाएँ प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है। कमजोर मॉ की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है।

आर्थिक सशक्तिकरण :–

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्रत महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने अपने तथा अपने बच्चों के पालन–पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा निजी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा महिलायें स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण :–

सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरूआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। इसके लिए परिवार में पुत्र–पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने की दीक्षा भी शामिल है क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझता है। अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है। साथ ही ऐसी परंपराएँ जिसमें महिलाओं के निम्न अथवा हेय समझा जाता हो उसे बदलने में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

विधिक सशक्तिकरण :–

भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है। संविधान की दृष्टि में दोनों समान हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं। जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाये हैं। घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है।

राजनैतिक सशक्तिकरण :–

देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रहीं है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाएँ दे रही हैं। राजनैतिक जागरूकता और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवश्यंभावी है।

भावनात्मक सशक्तिकरण :–

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

यदि महिलायें शिक्षिति व आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशय भावुकता के कारण कई बार गलत निर्णय ले बैठती है जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये कई बार–बार प्रताड़ित करे फिर रो धोकर माफी मांग ले भावनात्मक रूप से कमजोर कर अपनी नाजायज मांग पूरी करवा ले।

1.3 अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र रामपुर नैकिन विकासखण्ड सीधी जिले का एक प्रमुख विकासखण्ड है। शोध अध्ययन हेतु रामपुर नैकिन विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण क्षेत्र को लिया गया है। विकासखण्ड का कुल क्षेत्रफल 571.67 वर्ग किमी. है तथा यहॉ कुल 390 गांव आबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 233031 है, जिसमें महिला 118739 तथा पुरुष 114292 है। विकासखण्ड की कुल जनसंख्या में 125548 लोग साक्षर है। विकासखण्ड में स्वयं सहायता समूहों का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना कार्यालय के आधीन है, अर्थात् परियोजना अधिकारी स्वयं सहायता समूहों की नोडल ऐजेन्सी है। क्षेत्र में कुल 150 स्वयं सहायता समूह संचालित है। ग्राम संगठन 156 है। ये स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी व प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में माध्यान भोजन व्यवस्था के कार्यों के साथ–साथ बचत, सूक्ष्म वित्त व ऋण इत्यादि जैसे कार्यों में संलग्न है। इन स्वयं सहायता समूहों में महिलाऍ आचार–पापड़, चार–चिरौजी, फल–सब्जी प्रसंस्करण इत्यादि विभिन्न कार्यों से अपनी अजीविका चलाती है।

1.4 शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :–

विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरुषों को अधिक अधिकार संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परंपरागत भूमिकाऍ सौंपी गयी है।

किसी भी समाज के विकास में दोनों पक्षों की भूमिका आवश्यक है अर्थात् स्त्री–पुरुषों दोनों की भागीदारी आवश्यक है। तभी किसी भी समाज में समृद्ध, सौहार्द्र और खशहाली के बीज बोये जा सकते हैं, अन्यथा विषम परिस्थितियों में दोनों एक–दूसरे का काम नहीं आ सकेंगे, आज महिलाओं पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं है। किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बस इस बात की चिंता है कि उनकी भागीदारी का प्रतिशत सभी क्षेत्रों में बहुत कम है, जबकि जनसंख्या में उनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है।

महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देखा जाय तो ऐसा लगता है कि महिलायें पुरुषों की अपेक्षा काफी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों ऐसा होने पर भी लड़का और लड़की में इतनी असमानता हमें सोचना होगा कि क्यों एक मां लड़की के जन्म पर मातम मनाती है। लड़के के जन्म पर खुश होती है, मिठाइयॉ बांटती हैं। आखिर स्त्री में इतना भेद क्यों? कहना न होगा इसके लिए हमारा समाज उत्तरदायित्व है। जिसके

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

कारण आज महिला सशक्तिकरण जैसा मुद्दा समाज को सोचने के लिए मजबुर कर रहा है। परचम लहरा रही है, साहित्य जगत से लेकर उद्योगों कल–कारखानें, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, फिल्म जगत, राजनीति, खेल इत्यादि क्षेत्रों में उनका सराहनीय योगदान है।

आप लोगो के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को विश्व के कई संगठनों द्वारा इतना महत्व दिया जाता है।

समाज का विकास :–

महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है, अगर हम लोगों को अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को समाज की महिला को भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, महिलाओं के विकास का मतलब होता है कि आप एक परिवार का विकास का कार्य कर रहे हैं, अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को भी पढ़ा–लिखा बनाने की कोशिश करेगी जिसके चलते हमारे देश को पढ़े–लिखे नौजवान मिलेगे, जो कि देश की तरक्की में अपनी योगदान दे सकेंगे।

घरेलू हिंसा में कमी :–

घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी महिला के साथ हो सकती है ये जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल अनपढ़ महिलाओं के साथ ही होती है, शिक्षित महिलाएँ भी इस तरह की हिंसा का शिकार होती हैं बस फर्क इतना होता है कि जहॉ पढ़ी–लिखी महिलाएँ इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती है वहीं अनपढ़ महिलाएँ ऐसी हिंसा के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने से डरती हैं वहीं अगर महिलाओं का विकास किया जा सके तो हमारे देश में होने वाली घरेलू हिंसा में ना केवल कमी आएगी बल्कि महिलाएँ घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को सजा भी दिलावाने के लिए आगे आयेंगी।

आत्म निर्भर बनाना :–

हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें आगे जाकर केवल घर की ही देखभाल करनी हैं, अभी भी गांव में पढ़ाई करने से ज्यादा लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं जो ना सिर्फ लड़कियों के भविष्य के लिए गलत हैं, बल्कि देश के लिए भी नुकसानदेह है देश में अशिक्षित लड़कियॉ होने का मतलब है कि देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी का अशिक्षित होना अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्म निर्भर नहीं बनने देंगे तो हमारे देश की महिलाएँ केवल रसोई तक ही समिति रह जायेगीं।

गरीबी कम करने :–

महिला सशक्तिकरण का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो गरीबी से जुड़ा हुआ है अक्सर देखा गया है कि इतनी महगाई के जमाने में कभी–कभी, परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा अर्जित धन परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए प्र्याप्त नहीं होता है, वहीं महिलाओं की अतिरिक्त आय परिवार को गरीबी के रास्ते से बाहर आने में मदद करता है, इसलिए गरीबी को कम करने के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होने के साथ–साथ कामकाजी होना भी जरूरी है।

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

प्रतिभाशाली :–

महिलाओं को प्रतिभाशाली होना चाहिए लेकिन सही मार्गदर्शन और शिक्षा ना मिल पाने के चलते वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, इसलिए अगर महिलाओं का सही से सशक्तिकरण कर दिया जाये तो महिला अपने हुनर की पहचान कर सकेंगी जिससे देश को भी प्रतिभाशाली महिलाए मिलेंगे जो कि देश के विकास के लिए कार्य करेगी।

1.5 शोध समस्या :

इस अध्ययन के दौरान कई समस्यों का सामना करना पड़ा है। वास्तव में ये समस्या आकस्मिक स्थाई परिस्थिति जन्य थी जिन्हें सहन करने की पूर्वाशा में यह कार्य सम्पन्न किया गया है। यातायात सबसे बड़ी समस्या रही है। अध्ययन क्षेत्र में आज भी ग्रामों में पैदल जाना, हॉ अधिक कठिन है वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहॉ पक्की सड़के एवं यातायात के पर्याप्त साधन मिल जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों जिनका की चयन उत्तरदाताओं के रूप में चयनित किया गया है उनसे जानकारी अनुसूची के माध्यम से प्राप्त की गई जिसमें कुछ जानकारी देने में वेहिचक महसूस कर रही थी जब उनको शोध का उद्देश्य एवं जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा कि बात की गई तब कहीं वे जानकारी दे पायी। रामपुर नैकिन विकासखण्ड बहुत सा क्षेत्र काफी उबड़–खबड़ है जिससे हर गांव में पहुचना कठिन था। जानकारी हासिल करने हेतु पंचायत के सक्रेट्ररी, सरपंच, ग्राम सेवक, स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक आदि लोगों से सम्पर्क करने में काफी समय लगा कभी वे अतिव्यस्त, कभी वे समय का अभाव आदि अनेक प्रकार के बहाने बाजी बनाकर टाल मटोल करते रहें।

1.6 निष्कर्ष :

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहॉ महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, रज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर 'ग्रामीण महिला' को सशक्त किए बिना।

महिला सशक्तीकरण का सीधा–साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। दूसरे शब्दों में महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, मनचाही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना व घर परिवार व समाज के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने का हक देना, सशक्तिकरण है। अन्य अवधारणा के अनुसार, 'महिला सशक्तीकरण' का सीधा सा अर्थ हैं, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं के हाथ में अधिकर देना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना। इसके अंतर्गत अन्य अर्थ में महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य पुरुषों

ISSN (Online) 2582-9327
IJARSCMT
International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology
Impact Factor: 5.731
Volume 1, Issue 1, April 2022

की बराबरी करना न होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है।

महिला सशक्तीकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री पुरुष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है। सशक्तीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियॉ को नियंत्रित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में वे जागरूक बनें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मुखर्जी, डॉ0 रवीन्द्रनाथ – भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली, 1996।
2. सिंह, वी0एन0/सिंह, जनमेजय – आधुनिकता एवं नारी सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2010।
3. मदन, जी0आर0 – भारत का सामाजिक पुनिर्माण, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1990।
4. पवार, डॉ0 निकुंज मीनाक्षी – नारी उत्पीड़न और कानून, स्टार कम्प्यूटर एण्ड ग्राफिक नयापुरा, इन्दौर।
5. सिंह, डॉ0 निशांस – सामाजिक न्याय और सतत् विकास, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006।
6. बघेल, डॉ0 डी0एस0 – भारतीय समाज, पुष्पराज प्रकाशन, रीवा, 1990।
7. आर्य, सत्यप्रकाश – व्यवहारिक समाजशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, 1971।
8. गुप्त, रघुराज – भारत में समाज कल्याण और सुरक्षा, किशोर पब्लिकेशन हाउस, कानपुर, 1959।
9. खरे, पी0सी0 – सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन, पुस्तक भवन, रीवा, 1980।
10. जैन, डॉ0 एस0सी0 – शोध पद्धतियॉ एवं सांख्यिकी तकनीक, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2010।
11. अग्रवाल, जी0के0 – सामाजिक परिवर्तन, साहित्य भवन आगरा, 1969।
12. खान, एम0ए0 – स्टेटस आफ रूलर वोमेन इन इण्डिया, उप्पल प्रकशन हाउस, नई दिल्ली, 1958।
13. पाण्डे, डॉ0 जयनारायण – भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
14. तिवारी, आर0पी0 – भारतीय नारी, वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कारपोरेशन नई दिल्ली, 1999।
15. रावत, ज्ञानेन्द्र – औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन्स दिल्ली, 2006।
16. अंसारी, एम0ए0 – महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000 एवं 2007।
17. कुमार, मनीष – महिला सशक्तीकरण : दशा और दिशा, प्रकाशक मधुर बुक्स, दिल्ली, 2006।
18. गुप्ता, डॉ0 बी0के0 – महिला सशक्तीकरण का यथार्थ, प्रतियोगिता दर्पण 2005।
19. द्विवेदी, राकेश – महिला सशक्तीकरण चुनौतियॉ और रणनीतियॉ, पूर्वशा प्रकाशन भोपाल, 2005।
20. गुप्ता, रमणिका – स्त्री विमार्श कलम और कुदाल के बहाने, शिल्पायन, दिल्ली, 2006।

ISSN (Online) 2582-9327

IJARSCMT

International Journal of Advanced Research in Science, Commerce, Management and Technology

Impact Factor: 5.731

Volume 1, Issue 1, April 2022

21. नागदा, डॉ0 बी0एल0 – ग्रामीण महिलाओं में सशक्तीकरण के जनांकिक एवं सामाजिक पक्ष प्रतियोगिता दर्पण, 2004।
22. दुबे लीला – महिलायें और विकास, म0प्र0हि0ग्रा0 अकादमी का प्रकाशन, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भोपाल, 1992।
23. मुखर्जी, मधुपर्णा – नारी सशक्तीकरण दशा एवं दिशा, कृतिका जनवरी–जुलाई 2009।
24. जौहरी, डॉ0 शुभा – वैश्वीकरण तथा महिला सशक्तीकरण की दशा एवं दिशा, कृतिका, जुलाई–दिसम्बर 2008।
25. डॉ0 श्रीमती चित्रा आम्रवंशी – राजनीति में नारी नेतृत्व आवश्यक क्यों, कृतिका, जुलाई–दिसम्बर 2008
26. आशारानी व्होरा – स्त्री सरोकार, आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली, 2006।
27. **संगीता उनियाल – नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति,** 1999